भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 591

जिसका उत्तर गुरुवार, 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

न्यायालयों की कार्यवाही में हिन्दी को बढ़ावा

591 श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही में हिन्दी को बढ़ावा दिए जाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा न्यायालयों के कामकाज में हिंदी को स्थानीय भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए निर्धारित दिशानिर्देश क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्णयों को अनिवार्यतः स्थानीय और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध कराने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन राज्य में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित है । निम्न श्रेणी न्यायालयों में प्रादेशिक भाषा का उपयोग राज्य की विषय-वस्तु है ।

संविधान के अनुच्छेद 348 (1) (क) में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी, संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (2) में यह कहा गया है कि खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व

सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

मंत्रिमंडल समिति ने तारीख 21.05.1965 के विनिश्चय में कथित किया है कि भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति उच्च न्यायालय में अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा के उपयोग से संबंधित किसी प्रस्ताव पर प्राप्त की जाए ।

राजस्थान के उच्च न्यायालय में कार्यवाहियों में हिन्दी का उपयोग 1950 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (2) के अधीन प्राधिकृत था । उपर्युक्त यथा उल्लिखित तारीख 21.05.1965 के मंत्रिमंडल समिति के विनिश्चय के पश्चात् हिन्दी का उपयोग भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) के उच्च न्यायालयों में प्राधिकृत था ।

(ग) और (घ) : वर्तमान में बारह जन भाषाओं में निर्णय अनुवादित किए जा रहे हैं और भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए है । बारह भाषाएं असमिया, बंगला, हिन्दी, कन्नड, मराठी, ओडिया, तमिल, तेलुगू, उर्दू, नेपाली, मलयालम और पंजाबी हैं । इसके अतिरिक्त निर्णय गोरो और खासी में भी अनुवादित किए जा रहे हैं । निर्णयों का अनुवाद निम्नलिखित विषय प्रवर्गों के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अपीली अधिकारिता के अधीन आने वाले मामलों से संबंधित है ;

1. श्रम संबधी मामले ;

2. किराया अधिनियम संबधी मामले ;

3. भूमि अर्जन और अधिग्रहण संबंधी मामले ;

4. सेवा संबंधी मामले ;

5. प्रतिकर संबंधी मामले ;

6. दाण्डिक संबंधी मामले ;

7. कुटुंब विधि संबंधी मामले ;

8. साधारण सिविल संबंधी मामले ;

9. स्वीय विधि संबंधी मामले ;

10. धार्मिक और पूर्त विन्यास संबंधी मामले ;

11. साधारण धन और बंधक संबंधी मामले ;

12. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम के अधीन बेदखली संबंधी मामले ;

13. भूमि विधियां और कृषि किराएदारी ; और

14. उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित संबंधी मामले।

****